न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3197 सन 2026
CNR. No.UPSP 01007539 2026

रोहित पुत्र पवन निवासी ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 405/2026
धारा 191(2), 281, 125(बी), 115(2), 109(1) बी.एन.एस
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **रोहित** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रोहित 15.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ फूल सिंह पुत्र मंशराम शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिनके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी परमजोत सिंह द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादी व उसका भाई हरकीरत सिंह मोटरसाईकिल से तल्हेडी बुजुर्ग दवाई लेने जा रहे थे कि रास्ते में स्वीमिंग पूल के पास मोड पर सामने से आ रही मोटरसाईकिल के चालक ने तेजी से व लापरवाही से गलत साईड लाकर वादी की मोटरसाईकिल में मार दी। जब वादी ने उस इस बात के लिए कहा तो वादी व उसके भाई के साथ अभिषेक एवं चार–पांच अज्ञात व्यक्तियों ने बैट और विकेट से मारपीट की, जिसमें वादी व उसके भाई को गंभीर चोटे आयी। उक्त मारपीट के दौरान तलवार और खंजर वहीं पर गिर गया। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब व वास्ता नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई की मोटरसाईकिल में टक्कर मारने, वादी एवं उसके भाई के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी–डन्डो से मारपीट कर उन्हें गम्भीर उपहति कारित करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 191(2),281,125(बी),115(2) बी.एन.एस के अर्न्तगत प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक एवं 4–5 अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की चिकित्सीय परीक्षण आख्यानुसार आहत **हरकीरत सिंह** के सिर पर लेस्सरेटड वून्ड, ट्रॉमेटिक स्वेलिंग, माथे पर एबरेडिड ट्रॉमेटिक स्वेलिंग, एबरेजन, चेहरे की बांयी ओर रेड एबरेजन, रेडिस ब्लू कन्टयूजन, बांये कन्धे पर मल्टीपल रेडिस ब्लू कन्टयूजन, दांये कन्धे के जोड पर ट्रॉमेटिक स्वेलिंग के साथ मल्टीपल रेड कन्टयूजन, बांयी हथेली के पीछे एबरेडिड कन्टयूजन, दांये बटक रीजन पर रेड कन्टयूजन, दांये घुटने पर रेड कन्टयूजन की चोटे आना व आहत की चोट सं0–7,8 व 9 को जेरे निगरानी रखे जाने की सलाह दिया जाना तथा आहत/वादी **परमजोत सिंह** के सिर पर दांयी तरफ लेस्सरेटड वून्ड, सिर पर पीछे की तरफ लेस्सरेटड वून्ड, चेहरे की बांयी तरफ लेस्सरेटड वून्ड, बांये कन्धे पीछे की तरफ रेड कन्टयूजड स्वेलिंग, बांयी कोहनी के पीछे ट्रॉमेटिक स्वेलिंग के साथ मल्टीपल रेड कन्टयूजड, बांयी हथेली पर ट्रॉमेटिक स्वेलिंग के साथ मल्टीपल एबरेडिड, पेट पर रेड एबरेजन की चोटे आना व कमर में दर्द की शिकायत होना एवं आहत की चोट सं0–4, 5, व 6 को जेरे निगरानी रखे जाने की सलाह दिया जाना उल्लेखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहतो की एक्सरे आख्या के अनुसार आहतो की उक्त चोटो में कोई अस्थिभंग न पाये जाने के कारण आहतो की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहतो की उक्त चोटे साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना वादी के बयान के आधार पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ साथ आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले में प्रकाश में आना एवं मामले में धारा 109(1) बी.एन.एस की वृद्धि किया जाना अभिकथित है। आवेदक/अभियुक्त 15.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्तगण नितिन उर्फ अभिषेक एवं सन्नी उर्फ नटराज की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से आवदेक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्त **रोहित** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता हैं। अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891